पत्र संख्या–15 / सी 3–27 / 2014 – 1307
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय,
बिहार।

पटना, दिनांक 11/7/14

विषयः– श्री नीरज कुमार, माननीय स0वि0प0 द्वारा बिहार विधान परिषद् के 177 वें सत्र में पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या ई0–01 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नीरज कुमार, माननीय स0वि0प0 द्वारा प्राप्त प्रश्न की टंकित प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त प्रश्न पर कंडिका वार उत्तर तैयार कर यथा आवश्यक पूरक सामग्री के साथ दो दिनों के अन्दर विशेष दूत / फैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,

11/7/14

विशेष कार्य पदाधिकारी
उच्च शिक्षा,

बिहार विधान परिषद् के 177 वें सत्र के लिए श्री नीरज कुमार, स0वि0प0 द्वारा पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या ई–01		माननीय मंत्री श्री वृषिण पटेल, शिक्षा विभाग से प्राप्त उत्तर
प्रश्न		
क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		उत्तर
(क)	क्या यह सही है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम–2008 के अधिसूचना तिथि–23.04.2008 में कंडिका–4 (V) में एक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पदस्थापन की अवधि अधिकतम पांच वर्षों की होगी।'' का प्रावधान है,	
(ख)	उपयुक्त खण्ड ''क'' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन एवं एक महाविद्यालय में पांच वर्षों से ज्यादा समय से पदस्थापित प्रधानाचार्यों की स्थिति से सदन को अवगत कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?	

QUES